उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

संख्या-38/2020/1570/अट्ठासी-20-07औ./18टी.सी.(ख)

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2020

<u>आदेश</u>

उ0प्र0 शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-1764/77-6-20-05(एम)/17टीसी-3, दिनांक 13.07.2020 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018 के प्रस्तर-8.4 में निम्न प्रावधान हैं:-

"8.4- सभी सम्बन्धित फार्मा इकाइयों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षु प्रतिवर्ष के अनुसार 06 माह तक रु0 1000 प्रतिमाह प्रति-प्रशिक्षु की प्रतिपूर्ति 05 वर्षों तक प्रदान की जायेगी।"

2- 'उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018' (यथासंशोधित) के उक्त प्रस्तर-8.4 के अन्तर्गत नियमानुसार अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-61/2020/1964/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि-2020-2 (बी)/20टी.सी., दिनांक 16.07.2020 (समय-समय पर यथा- संशोधित) में विहित प्रक्रिया/शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार की जायेगी।

अनीता सिंह

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-38/2020/1570(1)/अट्ठासी-20, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0।
7- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रेणु तिवारी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in